निर्देश संख्या 48

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग**

**सत्रहवां तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

सं. ए -110018 /01 /2021-सी.ए. क्यू. एम./4079 -89 **दिनांक: 15.12.2021**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश - दिनांक 02.12.2021 के निर्देश संख्या 46 में विभिन्न उद्योगों पर लगाई गयी शर्तों पर रियायत देने के सम्बन्ध में ।

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिनांक 02.12.2021 की निर्देश संख्या 46 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया था कि, "एन. सी. आर में जो औद्योगिक ऑपरेशन और प्रक्रियायें पी. एन. जी. या स्वच्छ ईंधन पर नहीं चल रहे हैं , उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक केवल 08 घंटे तक चलाने की अनुमति होगी और शनिवार एवं रविवार को चलाने की अनुमति नहीं होगी ।"

2. जबकि, उपरोक्त निर्देश जारी करते समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूची ए. - क्यू. आई. श्रेणी "गंभीर" के अंतर्गत थी ।

3. जबकि, मेसर्स मदर डेयरी फ्रूट एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर हस्तक्षेप आवेदन आयोग में प्राप्त हुआ है जिसमें डेयरी ईकाई को आंशिक रूप से बन्द करने से छूट के लिए मांग की गयी है ।

4. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने रिट याचिका सी संख्या 1135/2020 'आदित्य दुबे (नाबालिग) और अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य' मे दिनांक 10/12/ 2021 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किया है " हमारे पिछले आदेश या आयोग के अन्यथा दिए गए परिपत्र द्वारा लागू की गई शर्तों के बारे में विभिन्न उद्योगों एवं संगठनों से प्राप्त अनुरोध का परीक्षण करने के लिए हम निर्देश देते हैं"।

"हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आयोग विचार करेगा और एक सप्ताह में उचित कार्रवाई करेगा ।"

5.जबकि, एम/एस मदर डेयरी फ्रूट्स एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, विभिन्न दूध और डेयरी इकाइयों अर्थात बल्लभगढ़ सहकारी दूध उत्पादक यूनियन लिमिटेड, हिसार- जींद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रोहतक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड आदि ने आयोग के निर्देश संख्या 46 दिनांक 02/12 /2021 में छूट/रियायत के लिए आयोग को प्रस्ताव दिया है ।

6.जबकि, एम/एस मदर डेयरी फ्रूट्स एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित अन्य दूध उत्पादकों / खरीदार संघों के प्रतिनिधि / महासंघों को व्यक्तिगत रूप से 13/12/2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से सुना गया ।

7. जबकि, दूध और डेयरी इकाइयों के मुख्य तर्क है: -

(i) दूध एवं डेयरी इकाइयाँ रोजाना किसानों से बड़ी मात्रा में दूध लेती है और उसी दूध का प्रसंस्करण करके दूध व दुग्ध उत्पाद तैयार करके दिल्ली व एन. सी. आर. में आपूर्ति करती है ।

(ii) दूध एक बिगड़ने वाली वस्तु है और लम्बे समय तक भण्डार में नहीं रखा जा एकता और अधिकतर इकाइयाँ के पास दूध की भंडारण क्षमता नहीं है ।

(iii) दूध एवं डेयरी इकाइयाँ अत्यावश्यक सेवाओं से सम्बंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं और इन्हें आंशिक रूप से बन्द करने से दूध की आपूर्ति और उससे सम्बंधित उत्पादों में दिल्ली एवं एन. सी. आर. में कमी आएगी ।

(iv) काम बंदी से डेयरी इकाइयाँ बंद हो जाएगी या उनका सञ्चालन कम हो जाएगा जिससे बड़ी संख्या में किसानों के दूध की आपूर्ति रूक जाएगी ।

(v) डेयरी इकाईयों के सञ्चालन और दूध के प्रसंस्करण के लिए, इकाईयों के सञ्चालन और दूध के प्रसंस्करण के लिए, इकाइयाँ के सञ्चालन और दूध के प्रसंस्करण के लिए, इकाईयों को पूरे वर्ष 24 घंटे काम करना होता है ।

(vi) एक दिन में केवल 08 घंटे का सञ्चालन व्यवहार्य नहीं है और बोयलर निष्प्रभावी हो जाएगा जिससे दूध एवं दुग्ध उत्पादन में रुकावट आएगी |

(vii) एम/एस मदर डेयरी फ्रूट एवं वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले को एम/एस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को गैस आपूर्ति के लिए उठाया है लेकिन गैस संरचना और आपूर्ति ना होने के कारण पी. एन. जी. में परिवर्तन के लिए असमर्थ है ।

8. जबकि, यह स्पष्ट रूप में सामने आया है कि एम/ एस मदर डेयरी फ्रूट्स एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले को एम/एस आई.जी.एल. को गैस आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है और प्रतिभूति जमा कर दी है और एम/एस आई.जी.एल. गैस आपूर्ति के लिए काम कर रही है ।

9. जबकि, कुछ दुग्ध संयंत्र कोयला आधारित बोयलर से पी. एन. जी. ईंधन से चलने वाले बोयलर में परिवर्तित किये जा चुके हैं, अन्य संयंत्रों में बोयलर लगाने के लिए पी. एन. जी. कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया चल रही है और डी. जी. सेट जो पी. एन. जी. से नहीं जुडे हैं, पी. एन. जी. संरचना उपलब्ध होने पर उन्हें पी. एन. जी. में परिवर्तित किया जाएगा ।

10. जबकि, एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने आयोग को प्रतिवेदन द्वारा अनुरोध किया है कि चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने हेतु पी. एन. जी./स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन के निर्देश से छूट दी जानी चाहिए और सार्वजनिक उपयोगिताओं की आपूर्ति अबाधित ढंग से सुनिश्चित की जाए ।

11. जबकि, आगे यह भी बताया गया कि कई दवायें, सोलुशन और'उत्पादित होनेवाली दवायें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

12. जबकि, एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की सुनवाई 13.12.2021 को आयोग द्वारा वर्चुअल मोड में की गयी जिसमें कोविड महामारी के कारण, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्तमान सञ्चालन के मद्देनज़र उनकी गतिविधियों से प्रतिबन्ध हटा लेने के लिए अति आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई ।

13. जबकि, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण/ दवाइयों के उत्पादन में लगी इकाइयों को आपातकालीन उद्देश्यों के लिये डी. जी. सेट के उपयोग की अनुमत दी गई है जिससे निर्बाध रूप से आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके ।

14. जबकि, सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया की कुछ मेडिकल उपकरण और दवा निर्माण उद्योगों ने स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के लिए परिवर्तन करने हेतु पी. एन. जी. आपूर्ति के लिए कदम उठाये हैं ।

15. जबकि, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक "गंभीर" श्रेणी से सुधर कर वर्तमान में "बहुत ख़राब" श्रेणी में पंहुचा है ।

16. अब, इसलिए उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग, तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक आदेश देता है कि "एन. सी. आर. " में दूध और डेयरी इकाइयां"जो जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण , ड्रग्स और दवाइयों के उत्पादन में शामिल हैं , उन्हें आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देश संख्या 46 दिनांक 02/12 /2021 के पैरा (ii) के संचालन से मुक्त किया जाता है और तदनुसार उन्हे संचालन करने की अनुमति दी जाती है और ऐसी इकाइयाँ के लिए लागू निर्धारित उत्सर्जन मानकों का सख्ती के साथ अनुपालन किया जाएगा ।

हस्ता०

(**अरविंद नौटियाल)**
सदस्य सचिव
दूरभाष नं.: 011-23701197
E-mail: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में:

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि :-

5. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड|

6. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड|

7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड|

8. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड|

9. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति|

10.सीएमडी । एमडी, मदर डायरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 18 किमी स्टोन, गाजियाबाद, हापुड़ रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।

11.फोरम समन्वयक, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ, (ए.आई.एम. ई. डी.) 901-902, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली|

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि:

(i) अध्यक्ष, एवं सभी सदस्य , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव